

महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उत्तराखण्ड

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फ़ैक्स: 0135-2608746

पत्रांक : 23प/आई0डी0एस0पी0/CoV/2020/491

दिनांक : 11/02/2020

अनुस्मारक-1

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
समस्त जनपद उत्तराखण्ड।

विषय : कोरोना वायरस रोकथाम एवं नियंत्रण विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आपके द्वारा किये जा रहे निरन्तर अथक प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण सम्बन्धित किसी भी प्रकार की असामान्य स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जो कि सराहनीय है। इसी क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्रांक 23प/आई0डी0एस0पी0/CoV/2020/483 दिनांक 25 जनवरी 2020 एवं 23प/आई0डी0एस0पी0/CoV/2020/2088 दिनांक 05 फरवरी 2020 (संलग्न) के क्रम में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के समुचित रोकथाम हेतु निम्न कार्यवाहियां निरन्तर की जानी हैं :

1. जनपद स्तर पर प्रमुख चिकित्सालयों/मेडिकल कालेज चिकित्सालयों में कोरोना वायरस रोगियों हेतु मानक दिशा निर्देशों के अनुसार पर्याप्त आइसोलेशन फ़ैसिलिटी तैयार रखनी है। आइसोलेशन फ़ैसिलिटी हेतु एक चैकलिस्ट भी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। आप अपने स्तर से यथाशीघ्र समस्त आइसोलेशन फ़ैसिलिटी को चैकलिस्ट अनुसार तैयार रखें व यथाशीघ्र चिकित्सालयवार चैकलिस्ट भरकर राज्य आई0डी0एस0पी0 यूनिट को ई-मेल idsputtarakhand@gmail.com पर प्रेषित करें।
2. प्रत्येक आइसोलेशन फ़ैसिलिटी में पर्याप्त मात्रा में सपोर्टिव ट्रीटमेन्ट व एन-95 मास्क एवं पी0पी0ई0 किट की उपलब्धता रहे।
3. वेंटीलेटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
4. उक्त आइसोलेशन फ़ैसिलिटी हेतु नोडल अधिकारी नामित रखें एवं पर्याप्त मेडिकल स्टाफ को तैनात किया जाये। उक्त मेडिकल स्टाफ को कोरोना वायरस संक्रमण के प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षित किया जाये।
5. जनपद में समस्त मेडिकल स्टाफ को कोरोना वायरस निरोधात्मक कार्यवाही में प्रशिक्षित किया जाये।
6. जनपद स्तर पर पर्याप्त मात्रा में एन-95 मास्क एवं पी0पी0ई0 किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
7. संदिग्ध मरीज को लाने व ले जाने के लिए पृथक से एक एम्बुलेंस की व्यवस्था रखें जिसमें इन्फेक्शन कन्ट्रोल की सुविधा हो।
8. सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्राम सभा/ग्राम पंचायतों की विशेष बैठक निरन्तर की जाती रहें व बैठक के माध्यम से कोरोना वायरस को लेकर जन जागरूकता की जाये एवं अद्यतन सूचना से राज्य मुख्यालय को अवगत कराये।

9. भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी चीन देश से आये यात्रियों की सूची (List of Passengers) पर त्वरित रूप से समस्त आवश्यक कार्यवाहियां कर अद्यतन सूचना दैनिक रूप से राज्य मुख्यालय को प्रेषित करें।
10. जनपद स्तर पर कोरोना वायरस नियंत्रण हेतु कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाये जिसके द्वारा समस्त निरोधात्मक गतिविधियों का क्रियान्वयन व निरन्तर अनुश्रवण किया जाये एवं चिकित्सकों व अन्य कर्मियों की रोस्टर अनुसार ड्यूटी लगायी जाये।
11. यह भी सुनिश्चित करें कि आम जनमानस मे अनावश्यक भय की स्थिति ना उत्पन्न हो।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीया



(डा० अमिता उप्रेती)

०१८ महानिदेशक

पत्रांक : 23प/आई०डी०एस०पी०/nCoV/2020/ 492

तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रभारी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
6. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।



(डा० अमिता उप्रेती)

०१८ महानिदेशक